पत्र संख्या- 12/चक0-मु0-28-8/2005 —448—/चक0

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(चकबंदी)

प्रेषक,

श्री सुधीर कुमार, भा०प्र०से०

निदेशक, चकबंदी, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त निदेशक, चकबंदी।

सभी उप निदेशक, चकबंदी।

सहायक निदेशक, चकबंदी, भागलपुर।

चकबंदी पदाधिकारी, हिलसा (नालन्दा)।

पटना, दिनांक 3 जून, 2005

विषय : चकबंदी योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में चकबंदी स्थगन संबंधित आदेश/अधिसूचना सरकार द्वारा विलोपित करते हुए पुन: चकबंदी कार्य प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

लगभग 12 वर्षों तक चकबंदी कार्य स्थगित रहने के बाद चकबंदी कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि चकबंदी कार्य स्थगन के पूर्व विभिन्न ग्रामों में चकबंदी कार्य भिन्न-भिन्न स्तर तक हुए थे -

सम्पुष्ट ग्रामों में

1. (क) कुछ ग्राम ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर चक योजना की सम्पुष्टि होने के उपरांत दखल देहानी की कार्रवाई भी हो चुकी होगी और चक नक्शा एवं चक खतियान भी बनकर रैयत के बीच वितरित हो चुका होगा, परन्तु इन ग्रामों को अभी चकबंदी अधिनियम की धारा 26(ए) के तहत अनाधिसूचित नहीं किया जा सका है। ऐसी स्थिति में इन ग्रामों का निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, चकबंदी के द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा और तत्पश्चात वैसे ग्रामों को चकबंदी अधिनियम की धारा 26(ए) के तहत अनाधिसूचित किया जा सकता है। अत: निदेश दिया जाता है कि स्थल निरीक्षण

क्र०पृ०उ०

220

कर प्रतिवेदन ग्रामवार सूची के साथ भेजना सुनिश्चित किया जाय ।

(ख) जिन सम्पुष्ट ग्रामों में चक का अध्यासन एवं चक नक्शा तैयार किया जा चुका है, परन्तु दखल देहानी नहीं दिलायी जा सकी है उन ग्रामों में दखल देहानी कराने के पूर्व सभी रैयतों से विचार विमर्श करना/एवं और अगर 90 प्रतिशत से ज्यादा रैयत सम्पुष्ट चक योजना के अनुसार दखल देहानी के लिए तैयार होते हैं तो ऐसे ग्रामों में दखल देहानी दिलायी जा सकती है और तत्पश्चात उन ग्रामों को चकबंदी अधिनियम की धारा 26(ए) के तहत अनाधिसूचित किया जा सकता है। अतः संबंधित ग्रामों के रैयतों से सम्पर्क कर कार्रवाई की जाय ।

2. चक सम्पुष्टि के बाद जहाँ अग्रेत्तर कार्रवाई नहीं हुई है ।

(क) कुछ ग्राम ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें चक योजना सम्पुष्टि के पश्चात आगे की कोई कार्रवाई यथा चक प्रतिवान का वितरण, नक्शा मुद्रण, दखल दहानी की कार्रवाई आदि नहीं हुई होगी ऐसे ग्रामों में चकबंदी प्रारम्भ करने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई के पूर्व ग्रामवार समीक्षा आवश्यक है। अतः इसकी समीक्षा कर ग्रामवार सूची निदेशालय को प्रेषित करें ।

3. असम्पुष्ट ग्रामों के संबंध में ।

(क) ऐसे ग्रामों जिनमें चकबंदी अधिनियम की धारा 10(1) के अधीन भू-अभिलेखों एवं सिद्धान्त विवरणी का प्रकाशन कर दिया गया था, चक योजना का प्रकाशन/भी किया गया/भी किन्तु चक योजना की सम्पुष्टि ~~किया गया~~ नहीं की जा सकी थी, ऐसे ग्रामों को चकबंदी अधिनियम की धारा 12(ख) के अंतर्गत पुनः पुनरीक्षित करने का आदेश दिया जाता है और तत्पश्चात धारा 12(ए) के अंतर्गत आपत्तियाँ प्राप्त कर उसका निष्पादन करें ।

(ख) ऐसे ग्रामों जिनमें चकबंदी अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत भू-अभिलेखों एवं सिद्धान्त विवरण का प्रकाशन किया जा चुका है था और उन पर आपत्तियाँ प्राप्त कर उन आपत्तियों का निपटारा भी किया जा चुका था। इसके बाद चकबंदी योजना के प्रारूप तैयार होने या नहीं होने, दोनों की अवस्था में चकबंदी अधिनियम की धारा 10(जी) एवं 10(डी) के तहत भू-अभिलेखों एवं सिद्धान्त विवरणों का पुनः प्रकाशन कर आगे की कार्रवाई करें।

कृ०प०उ०

: :

(ग) ऐसे ग्रामों जिनमें चकबंदी अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत भू-अभिलेखों एवं सिद्धान्त विवरण का प्रकाशन किया गया और आपत्तियाँ माँगी गयी, परन्तु प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई नहीं की जा सकी है। इन ग्रामों में चकबंदी अधिनियम की धारा 10(1) के अंतर्गत पुनः भू-अभिलेखों एवं सिद्धान्त विवरण का प्रकाशन किया जाय और तत्पश्चात चकबंदी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय ।

(घ) वैसे सभी ग्राम जिनमें धारा 10 के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की गयी। उन ग्रामों में अब फिर से धारा 9 के तहत भू-अभिलेखों तैयार करने एवं धारा 9(ए) के तहत सिद्धान्तों का विवरण तैयार करने की कार्रवाई नये सिरे से प्रारम्भ करें । इसके अलावा कुछ वैसे भी ग्राम होंगे जहाँ पर चकबंदी अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचना निर्गत करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इन सभी ग्रामों में भी नये सिरे से कार्रवाई की जाय ।

4. <u>ग्राम सलाहकार समिति का गठन</u>

ऐसे ग्रामों जहाँ ग्राम सलाहकार समिति का गठन नहीं हुआ है या जहाँ पूर्व गठित सलाहकार समिति के सदस्य नहीं है, उन्हें पुर्नगठन करें ।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर त्वरित कार्रवाई करें तथा अनुपालन प्रतिवेदन निदेशालय को भेजें ।

विश्वासभाजन,

(सुधीर कुमार)
निदेशक, चकबंदी, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 445 / च0, पटना, दिनांक 3 जून, 2005
प्रतिलिपि - आयुक्त एवं सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

(सुधीर कुमार)
निदेशक, चकबंदी, बिहार, पटना ।